कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

सहारनपुर नगर निगम सम्पत्ति अनुभाग
---:::खुली बोली नीलामी सूचना:::---

पत्रांकः 1142/सम्प0अनु0/न0नि0सहा0/2025–26 दिनांक : 24 फरवरी, 2026

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि वित्तीय वर्ष 2025–26 की अवशेष अवधि एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये ठेका पार्किंग हेतु खुली बोली नीलामी दिनांक 28.02.2026 को प्रातः 11:00 बजे आमन्त्रित की जा रही है, इच्छुक बोलीदाता नीलामी में भाग ले सकते हैं:–

क्र0 सं	पत्रा0 सं0	ठेके का नाम	जमानत राशि	हैसियत प्रमाण पत्र	वर्ष 2024-25 में जमा धनराशि मय माल एवं सेवाकर (जी0एस0टी0)	न्यूनतम ऑफर(मय जी0एस0टी0) वित्तीय वर्ष 2025-26 व 2026-27 हेतु।
1	2	3	4	5	7	8
1	NZ4/2025	पांव धोई नदी पर नव निर्मित पार्किंग 01 (क्षे0 420 वर्गमीटर)	30 हजार	01 लाख 20 हजार	-	3,00,000/-
2	NZ5/2025	पांव धोई नदी पर नव निर्मित पार्किंग 02(क्षे0 525 वर्गमीटर)	30 हजार	01 लाख 20 हजार	-	3,00,000/-

नीलामी की शर्ते निम्नवत् है:–

प्रत्येक ठेके के निमित्त नीलामी से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे:–

✓आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, नगर आयुक्त महोदय को सम्बोधित अंकन 100 रू0 के नोटरी शपथ पत्र(फोटो सहित) जिसमें यह तथ्य अंकित होगा कि वह किसी भी संस्था का बकायेदार नही है, और न ही कभी ब्लैक लिस्टेड हुआ है, नीलामी संख्या अंकित करते हुये नीलामी से पूर्व सम्पत्ति अनुभाग, नगर निगम सहारनपुर में जमा करने होंगे।

✓नीलामी में केवल फर्म, पार्टनर फर्म, कम्पनी ही प्रतिभाग कर सकते है, Joint Venture प्रतिभाग नही कर सकते है, पार्टनरशिप फर्म की स्थिति में समस्त पार्टनर के आधार कार्ड, पैन कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।

2–ठेके से संबंधित सभी शर्ते सम्पत्ति अनुभाग में देखी/पढी जा सकती है, व सूचना व शर्ते नगर निगम की वेबसाईट www.saharanpurnagarnigam.com व एन0आई0सी0 की वेबसाईट www.saharanpur.nic.in पर भी उपलब्ध है।

3–ठेका बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर में निहित होगा।

4–जिन ठेकेदारों द्वारा गत वर्षों के ठेके की समस्त धनराशि नगर निगम कोष में जमा नही करायी गयी है, उनका ऑफर मान्य नही होगा, तथा जिन ठेकेदारों को नगर निगम द्वारा डिफाल्टर घोषित/ब्लैकलिस्टेड किया हुआ है, वह भी नीलामी में भाग नही ले सकेगें।

5–नीलामी दिनांक 28.02.2026 को प्रात 11:00 बजे नीलामी समिति के समक्ष की जायेगी।

सह प्रभारी सम्पत्ति
नगर निगम सहारनपुर।

प्रभारी अधिकारी(सम्पत्ति)
नगर निगम सहारनपुर।

मा0 महापौर महोदय की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 23.02.2026 के अनुक्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2–अपर नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3–निविदा/नीलामी समिति को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

4–प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली कुतुबशेर को उपरोक्त तिथि में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु।

5–प्रभारी मीडिया, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दरों पर) रोस्टर के अनुसार दो समाचार पत्र दैनिक अमर उजाला एवं दैनिक जनवाणी पत्र में कम से कम स्पेस में, नौ फांट में, प्रकाशित कर, बिल 3 प्रतियों सहित भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। यदि आपके समाचार पत्र द्वारा उक्त निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो आपके बिल से कटौती कर भुगतान किया जायेगा, अथवा बिल का भुगतान बाधित किया जा सकता है। जिस हेतु कोई क्लैम मान्य नही होगा।

6–रिकार्ड कीपर को नीलामी की व्यवस्था कराने हेतु।

7–नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

प्रभारी अधिकारी(सम्पत्ति)
नगर निगम सहारनपुर

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर निगम सहारनपुर। दिनांक 24.02.2026

वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवशेष अवधि एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु ठेका पार्किंग हेतु खुली बोली नीलामी की शर्ते।

1-पार्किंग स्थानों पर पार्किंग प्रभार की दरें निम्नलिखित होगी:-

नगर निगम सहारनपुर।	दो घण्टे के लिये (रूपये में)		क्रमवार एक घण्टे के लिये (रूपये में)		24 घण्टे (रूपये में)		मासिक पास (रूपये में)	
	2 पहिया	4 पहिया	2 पहिया	4 पहिया	2 पहिया	4 पहिया	2 पहिया	4 पहिया
10 लाख से कम जनसंख्या वाले	10	20	5	10	40	80	600	1200

नीलामी की शर्ते:-

1-यह कि ठेका इस ठेके की अवधि वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवशेष अवधि एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 अर्थात दिनांक 31.03. 2027 तक की होगी।

2-नीलामी से पूर्व समस्त वांछित प्रपत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरान्त ही नीलामी में भाग लिया जा सकेगा।

3-नीलामी में बोली की धनराशि 1000 रू0 के गुणांक में स्वीकार की जायेगी।

4-नीलामी हेतु न्यूनतम वार्षिक ऑफर कॉलम संख्या 08 में अंकित है, उक्त कॉलम स0 08 में अंकित न्यूनतम ऑफर से कम का ऑफर स्वीकार नही किया जायेगा।

5-यह कि ठेका स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 07 दिन के अन्दर ठेकेदार को अपनी बोली की वित्तीय 50 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित कराना होगा, जिसके उपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जायेगा, एवं 25 प्रतिशत धनराशि अगले 03 माह (31 मार्च 2026 तक) तक व शेष 25 प्रतिशत धनराशि अगले 03 माह (31 जुलाई 2026 तक) के अन्दर जमा करनी होगी, यदि ठेकेदार शर्तो के अनुसार ठेका धनराशि जमा नही कराता है, तो ठेकेदार द्वारा जमा जमानत राशि सहित समस्त जमा धनराशि जब्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जा सकेगी।

6- जमानत राशि सम्पूर्ण ठेका अवधि तक बन्धक रहेगी तथा नीलामी शर्तो के अनुसार ठेका सम्पन्न करते रहने पर ठेका अवधि के पश्चात ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी। जमानत राशि का समायोजन ठेका राशि में नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति/फर्म की कोई धनराशि ठेका राशि में समायोजित नहीं की जायेगी। नगर निगम का कोई बकायेदार बिना बकाया राशि जमा कराये नीलामी में भाग नहीं ले सकेगा। ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार/बोलीदाता नीलामी में किसी भी दशा में भाग नही ले सकता है।

7- समस्त पार्किंग स्थलों के नक्शे(क्षेत्रफल सहित) निविदा के साथ संलग्न है। ठेकेदार द्वारा पार्किंग स्थलों पर पार्किंग के अतिरिक्त कोई अन्य गतिविधि संचालित नही की जायेगी।

8- नगर आयुक्त के पास पार्किंग स्थल को पार्किंग या अन्य किसी उपयोग के लिये एक वर्ष में कम से कम 05 पृथक या निरन्तर दिनो के लिये मुक्त रखने का अधिकार होगा।

9- पार्किंग स्थल पर 3×3 वर्गफीट का बोर्ड स्थापित करना होगा, जिस पर ठेकेदार का नाम, ठेके की अवधि व निर्धारित शुल्क/दर का विवरण अंकित करना होगा, ऐसा न करने पर उसे अवैध कृत्य/शर्तो का उल्लंघन मानते हुये ठेका जुर्माना या निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

10- यह कि पार्किंग शुल्क की दर बोर्ड को किसी कागज, रंग या अन्य प्रकार से विरूपित न किया जाये।

11- पार्किंग स्थल पर ज्वलनशील सामंग्री के साथ वाहनों की पार्किंग निषिद्व होगा, यदि ज्वलनशील एवं विस्फोटक सामंग्री अथवा अन्य किसी कारण से कोई दुर्घटना होती है, तो किसी भी जनहानि अथवा अन्य प्रकार की क्षति कारित की जाती है, अथवा पार्किंग स्थल वाहनों को हुये नुकसान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। पार्किंग में खडे होने वाले वाहनों की गहन जांच सुरक्षा के दृष्टि से कराने की व्यवस्था ठेकेदार को अपने व्यय से करना होगा।

12- यह कि ठेकेदार और वाहन स्वामी के बीच उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद एवं वाहन की क्षतिपूर्ति का दायित्व ठेकेदार/निविदादाता का होगा, ठेकेदार/बोलीदाता तथा उसके कर्मचारी द्वारा पार्किंग क्षेत्र में किसी से भी अभद्र व्यवहार नही किया जायेगा, वाहन और उसमें रखे किसी सामान अथवा लगी किसी ऐसेसरी के खोने अथवा क्षतिग्रस्त होने पर उसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

Scanned with CamScanner

13- यह कि पार्किंग स्थल का कब्जा सम्बन्धित बोलीदाता को दिये जाने के पश्चात किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न अथवा किसी पक्षकार द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो उस दशा में निविदादाता द्वारा लिखित प्रत्यावेदन नगर आयुक्त कार्यालय प्रस्तुत करना होगा। ऐसे प्रकरणों में अन्तिम निर्णय करने का अधिकार नगर आयुक्त को होगा।

14- ठेकेदार निर्धारित ठेका स्थल के बैरिकेटिंग कर वसूली करेगा। ठेका स्थल के बाहर यदि कोई वाहन खडा होता है, तो ठेकेदार का दायित्व होगा कि निर्धारित स्थल पर खडा कराये। ठेका स्थल से बाहर वसूली करते हुये पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसके तहत जुर्माना अथवा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ठेका निरस्त किया जा सकेगा।

15- ठेकेदार को अपना मोबाईल नम्बर देना होगा, तथा उक्त मोबाईल नम्बर पर दी गयी सूचना वैध व मान्य होगी, व दी गयी नोटिस की भांति मानी जायेगी।

16- यह कि ठेकेदार ठेके में वसूली इस प्रकार करेगा कि यातायात में कोई बाधा उत्पन्न न हो। ठेकेदार ठेका स्थल पर कोई अवैध निर्माण आदि का कार्य नही करेगा, स्थल की सफाई इत्यादि की व्यवस्था स्वंय करेगा।

17- प्रत्येक पार्किंग स्थल पर वसूलीकर्ता को ठेकेदार की ओर से उपलब्ध कराये गये वर्दी(निर्धारित रंग की टी शर्ट/अप्रन) को वसूलीकर्ता को पहनकर वसूली का कार्य करेगा।

18- यह कि प्रत्येक पार्किंग ठेकेदार को ठेका स्थल पर वसूलीकर्ता को पहचान पत्र जारी किया जायेगा, जिस पर नगर निगम के कर अधीक्षक, से हस्ताक्षरित कराकर वसूलीकर्मी को दिया जायेगा, स्टैण्ड पर कार्य कर रहे कर्मियों की सूची प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति को भी उपलब्ध कराना होगा।

19- यह कि सडक बन्द, हडताल, अतिवृष्टि, दैवीय आपदा व अन्य किसी कारण से हुयी क्षति के लिये नगर निगम जिम्मेदार नही होगा।

20- यह कि ठेकेदार द्वारा E-POS Machine के माध्यम से ही निर्धारित पार्किंग शुल्क लिया जायेगा, एवं E-POS Machine का खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

21- यह कि प्रथम पक्ष किसी व्यक्ति को ठेका सबलेट नहीं करेगा। यदि इस प्रकार का तथ्य संज्ञान में आने पर ठेका निरस्त कर ठेके में जमा धनराशि व जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी, और ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

22- यह कि उक्त ठेके से सम्बन्धित किसी भी तरह का बकाया रह जाने पर समस्त जमा धनराशि व जमानत धनराशि सहित जब्त कर अवशेष धनराशि को बकाया भू-राजस्व की भांति वसूल किया जा जायेगा।

23- यह कि ठेके की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर ठेकेदार के विरूद्ध जुर्माना करने, जमानत राशि जब्त करने, जमानत राशि जब्त कर ठेका निरस्त करने, जमानत राशि जब्त कर ठेका निरस्त करने के उपरान्त एक निर्धारित अवधि के लिये प्रतिबन्धित करने अथवा ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जायेगी।

24- ठेके के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर का होगा तथा ठेके स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम में निहित होगा। आवश्यकतानुसार शर्तो में संशोधन का अधिकार भी नगर आयुक्त नगर निगम में निहित होगा।

25- यदि निविदादाता द्वारा निविदा की शर्त संख्या 05 की शर्त के अनुसार निर्धारित अवधि में ठेका धनराशि जमा नही करता है, तो उसकी जमानत राशि व जमा धनराशि जब्त कर H2 से H1 हेतु पत्राचार किया जायेगा, असहमति की दशा में पुनः निविदा/नीलामी आमंत्रित की जा सकेगी, एवं भविष्य में होने वाले निगम के ठेकों के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा, जिसके लिये निविदादाता/बोलीदाता स्वंय उत्तरदायी होगा।

26- जो भी कर/देयता भारत सरकार/राज्य सरकार या अन्य किसी भी बोर्ड की होगी, उसके भुगतान का उत्तरदायित्व फर्म/व्यक्ति का होगा।

27- जनहित में नगर आयुक्त को किसी भी शर्त को परिवर्तित करने, संसोधित करने तथा नई शर्त आरोपित करने का अधिकार होगा।

28- किसी भी विवाद की दशा में नगर आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

29- वाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद सहारनपुर होगा।

30- यदि ठेकेदार द्वारा कम धनराशि के मूल्य पर स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित कराया जाता है, तो किसी भी स्तर पर यह पता लगने पर अनुबन्ध में स्टाम्प की कमी है, तो उसके लिये केवल ठेकेदार उत्तरदायी होगा, और उसी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

31- यह कि यदि किसी निविदादाता/बोलीदाता द्वारा कोई तथ्य छिपाया जाता है, और वह तथ्य छिपाकर ठेका लेने में कामयाब हो जाता है, औरबाद में तथ्य उजागर होता है, तो ऐसे ठेकेदार के विरूद्ध जमानत राशि जब्त करने व ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जायेगी, अपराधिक कार्य होने पर प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी।

Scanned with CamScanner

पत्रांक ... /न0नि0सहा0/2025-26

Website : saharanpurnagarnigam.in

...न्ता(निर्माण),
...सहारनपुर।

दिनांकः- 24 ,फरवरी, 2026

...कि यदि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रपत्र/अभिलेख कूटरचित पाये जाते है, तो सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्ध कानूनी ...ाही अमल में लायी जायेगी।

33- अनुबन्ध हेतु पर्याप्त मूल्य के स्टाम्प प्रस्तुत करने होंगे, स्टाम्प की कमी के लिये केवल ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

34- यदि यह संज्ञान में आता है, कि सम्बन्धित ठेकेदार सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों/असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अनुबन्ध उसी समय निरस्त कर धरोहर की धनराशि जब्त करते हुये फर्म/नाम को काली सूची में डाला जायेगा।

35- निविदा/नीलामी आमंत्रणकर्ता को परिशिष्ट/शुद्धि पत्र जारी करने का अधिकार है, जो किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नही किया जायेगा।

36- निविदा/नीलामी अवधि में ठेके से सम्बन्धित जानकारी सम्पत्ति अनुभाग, नगर निगम सहारनपुर में प्राप्त की जा सकती है।

सह प्रभारी सम्पत्ति
नगर निगम सहारनपुर।

प्रभारी अधिकारी(सम्पत्ति)
नगर निगम सहारनपुर।

Scanned with CamScanner